झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या श्रीमती शबनम परवीन के दिनांक–18.07.2022 से दिनांक–21.07.2022 तक के पलामू जिले से सम्बन्धित भ्रमण प्रतिवेदन।

1. दिनांक–18.07.2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक लंबित परिवाद–पत्रों पर सुनवाई।

- दिनांक–18.07.2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक परिसदन भवन, मेदिनीनगर, पलामू में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् विभिन्न मामलों के आयोग में लंबित परिवाद–पत्रों पर सुनवाई हुई। इस क्रम में कुल 25 मामलों की सुनवाई हुई। इनमें से 7 मामलों में शिकायतकर्ताओं द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा गया। सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा परिवाद–पत्रों में आदेश पारित कर मामलों को निष्पादित किया गया। सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामिणों को अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि PDS से राशन लेते समय e-Pos से निकलने वाला रसीद अवश्य प्राप्त करें एवं रसीद के अनुरूप अनाज का उठाव करें। निर्धारित मात्रा एवं रसीद के अनुरूप अनाज नहीं मिलने पर आयोग के समक्ष शिकायत करें।
- श्रीमती सकरी देवी व अन्य, ग्राम–बिरजा, पंचायत–जोगा, प्रखण्ड–उंटारी रोड, जिला–पलामू के परिवाद–पत्र में राशन नहीं मिलने से सम्बन्धित शिकायत उल्लेखित है। इस सम्बन्ध में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि इस मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है एवं मामले की सुनवाई की तिथि दिनांक–28.07.2022 को निर्धारित है। इस पर आयोग द्वारा निर्देश दिया गया कि भविष्य में ऐसी शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। जिन लाभुकों को राशन नहीं मिला अथवा कम मिला हो, उन्हें सवा गुणा मुआवजा/क्षतिपूर्ति एक माह के अंदर देने का निर्देश अधिकारियों को आयोग द्वारा दिया गया। एक माह के अंदर यथासंभव आयोग द्वारा उस पंचायत का औचक निरीक्षण कर आमजनों से उनकी समस्या दूर होने की जानकारी ली जायेगी। सुनवाई के दौरान अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू भी उपस्थित रहे।
- अधिकारियों से चर्चा के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू से पृच्छा की गई कि विभागीय नियम के अनुसार PDS डीलर के निलम्बन की अधिकतम अवधि 90 दिन है तब जिले में 29 डीलर 90 दिन से अधिक समय से निलम्बित कैसे हैं ? यह भी कि 90 दिनों

तक निलम्बन के मामलों का निष्पादन नहीं होने पर स्वतः निलम्बन मुक्त हो जाने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ है ? जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू इस सम्बन्ध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उन्हें निदेशित किया गया कि 90 दिनों से अधिक समय से निलम्बित मामलों में विधिसम्मत निर्णय यथाशीघ्र लिया जाए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को निदेशित किया गया कि राशन डीलर को निलंबित किया जाता है, तो उस डीलर से सम्बद्ध लाभुक/लोगों को इस आशय की जानकारी दे दी जाए कि उन्हें वैकल्पिक रूप से किस राशन डीलर के साथ सम्बद्ध किया गया है, ताकि लाभुकों को नियमित रूप से राशन मिल सके।

2. दिनांक–18.07.2022 को अपराह्न से दिनांक–19.07.2022 तक पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर अनुमण्डल, हुसैनाबाद अनुमण्डल एवं छतरपुर अनुमण्डल के अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम।

- दिनांक–18.07.2022 के अपराह्न से दिनांक–19.07.2022 तक पलामू जिले के सदर मेदिनीनगर, हुसैनाबाद अनुमण्डल एवं छतरपुर अनुमण्डल के प्रखण्डों के अन्तर्गत आने वाले पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे उपायुक्त, पलामू, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू, सदर मेदिनीनगर, हुसैनाबाद एवं छतरपुर अनुमण्डल के अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिविल सर्जन, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।
- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा सभी मुखिया को संबोधित करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित पूरी व्यवस्था मुखिया पर ही टिकी हुई है। योजना संचालित है, किन्तु जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में लाभुक योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मुखिया समाज के नींव होते हैं, वे सशक्त और जागरूक होंगे, तभी आम जनता भी सशक्त और जागरूक हो पायेगी एवं कोई भी लाभुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लाभ से वंचित नहीं होंगे। बताया गया कि यह अधिनियम सिर्फ जनवितरण प्रणाली से ही सम्बन्धित नहीं है, बल्कि इसके अन्तर्गत आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी सम्मिलित है। अध्यक्ष

महोदय द्वारा मुखियागणों से कहा गया कि ***"आप अधिकार जानेंगे, तभी अधिकार मांगेंगे"***। इसलिये अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही इस संवाद का मुख्य उद्देश्य है। जिले के प्रत्येक योग्य लाभुकों को राशन मिले, यह सुनिश्चित करने में मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर आयोग में शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया गया। आयोग की ओर से सभी मुखियागणों को किट दिया गया, जिसमें सभी योजनाओं की जानकारी दी गई है।

- आयोग के अध्यक्ष ने अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को विशेष निर्देश दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी होर्डिंग्स और अन्य माध्यमों से प्रचार–प्रसार कर लोगों को जागरूक करें। यथा संभव जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कुपोषण उपचार केन्द्र आदि से सम्बन्धित होर्डिंग्स पंचायतों में लगाना सुनिश्चित करवायें। अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया गया कि हरेक पंचायत में प्रत्येक मुखिया को यह जानकारी उपलब्ध करायी जाए कि उनके क्षेत्र में जनवितरण प्रणाली के कितने राशन दुकान हैं, उस दुकान में कितने लाभुक हैं, किस कार्डधारी को कितना और किस दर पर राशन मिलना है, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मध्याह्न भोजन विद्यालयों की संख्या कितनी है, कितने बच्चे नामांकित हैं, मध्याह्न भोजन से कितने बच्चे आच्छादित हैं तथा कितने बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है, ताकि मुखिया इन केन्द्रों का भौतिक निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि गलत आंकड़ा पेश कर योजना में गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है। इन योजनाओं से सम्बन्धित डाटा जिले के सभी मुखियागणों को उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया।
- अध्यक्ष द्वारा सभी मुखिया से अपने पंचायत के किसी सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजना यथा–जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित Wall Painting/होर्डिंग्स/पोस्टर लगाने एवं उसमें राशन तथा पोषाहार से सम्बन्धित प्रत्येक पहलुओं को अंकित करने का अनुरोध किया गया। जनवितरण प्रणाली केन्द्र के बाहर बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें राशन का आवंटन, राशन वितरण की तिथि एवं लाभुकों की सूची अंकित करायें। इसी तरह विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर भी बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें सरकार के प्रावधान अनुसार मेन्यू के आधार पर मिलने वाला मध्याह्न भोजन/पोषाहार, खाने की पौष्टिकता, लाभुकों की संख्या आदि अंकित हो।

- अध्यक्ष ने मुखियागणों से कहा कि किसी की मौत भूख से नहीं हो, इसलिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का गठन किया है। अधिकारियों के सहयोग से मुखियागण योजनाओं को लागू करवाने में सहयोग करें एवं अपने पंचायत में भ्रष्टचार को पनपने न दें। किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराएँ। यदि उनके द्वारा 30 दिनों के अंदर आपके शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है अथवा उनके द्वारा किये गये कार्रवाई से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हैं, तो शिकायतकर्ता अपनी शिकायत झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के वाट्सएप्प नंबर–9142622194 या ईमेल–jharfoodcommission@gmail.com पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि आपसी रंजिश में किसी की शिकायत न करें, शिकायत प्रमाणिक होगी, तभी कार्रवाई होगी। उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि राशन कार्ड के लिये जो लोग अपात्र हैं एवं उनका राशन कार्ड है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर, उनका राशन कार्ड सरेंडर कराते हुए, पात्र लोगों को राशन कार्ड बनवाने में सहयोग करें।
- आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी ने घोषणा की कि राज्य के हर जिले के ऐसे पंचायतों के मुखिया जो अपने पंचायत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करायेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। झारखण्ड में जिस दिन आयोग का गठन हुआ, उस दिन को आयोग स्थापना दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय भी लिया गया। हर वर्ष आयोग स्थापना दिवस 9 दिसम्बर के दिन ही रांची में कार्यक्रम आयोजित कर राज्य भर के मुखिया को पुरस्कृत और सम्मानित किया जायेगा।
- आयोग की सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन द्वारा सभी नवनिर्वाचित मुखियागणों का स्वागत किया गया एवं राज्य खाद्य आयोग के गठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के पहल एवं प्रयास से पलामू जिले के विभिन्न पंचायतों के मुखिया से संवाद कार्यक्रम सफल हो पाया है। खाद्य सुरक्षा एवं खाद्यान्न में सुधार हेतु ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का गठन किया गया है। खाद्य सुरक्षा सिर्फ जीने का अधिकार नहीं देती, बल्कि गरीमा के साथ जीने का अधिकार देती है। मुखियागण सशक्त होंगे तो योजना भी सशक्त होगी।
- उपायुक्त, पलामू द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम सब अच्छा काम करें एवं योजना को सफल बनाएँ तथा कोई भी लाभुक अनाज से वंचित न रहे।

- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत् प्रत्येक पंचायत को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 उपलब्ध कराया गया है। इसके अन्तर्गत जिन लाभुकों के सामने भोजन का संकट हो, उन्हें बाजार दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। जो लोग राशन कार्ड की अहर्ता रखते हैं वे ऑनलाईन आवेदन करें, राज्य सरकार द्वारा हरा राशन कार्ड बना कर दिया जायेगा। रिक्ति होने पर हरा राशन कार्ड को PHH कार्ड में परिवर्तित कर दिया जाएगा। मुखियागण अपनी निगरानी में राशन का वितरण कराना सुनिश्चित करें। डीलर नया साईन बोर्ड लगायेंगे, जिस पर राशन वितरण के समय उसे अपडेट करते रहेंगे। जिस दिन लाभुक का अंगूठा लगाया जाता है, यदि उस दिन उन्हें राशन नहीं मिलता है, तो मुखियागण अधिकारियों को बताएँ। सभी डीलर खाद्यान्न पहुँचने के तीसरे दिन से राशन वितरण कराना एवं हर माह लाभुकों का विवरण दुकान के बाहर लगवाना सुनिश्चित करें। जिन लाभुकों का अंगूठा मशीन में नहीं लगता है, तो डीलर अपवाद पंजी में संधारित करेंगे, इसमें मुखिया अपने स्तर से जाँच करें कि कहीं कोई गड़बड़ी न कर सके। अपवाद पुस्तिका के माध्यम से वितरित अनाज को भी ससमय नियमानुसार Online कराना डीलर का कर्तव्य है। **"एक राष्ट्र एक राशन कार्ड"** एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके तहत् कोई भी लाभुक कहीं से भी राशन का उठाव कर सकता है। PVTG के तहत् लाभुक को प्रत्येक माह सील बंद पैकेट में 35 कि0ग्रा0 राशन उनके घर तक पहुँचाने का प्रावधान है, इसमें किसी प्रकार की कोई शुल्क लाभुकों से नहीं ली सकती है।
- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को THR दिया जाता है। अति कुपोषित बच्चे जिनका वजन एवं लंबाई कम हो, उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुखियागणों से अनुरोध किया गया कि वे आंगनबाड़ी केन्द्रों का दौरा करें और देखें कि कितने बच्चे Red/Yellow/Green Zone में हैं। Yellow बच्चों का Counselling करने पर Green zone में आ जाते हैं, जबकि Red zone वाले बच्चों पर विशेष नजर रखी जाती है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में Flow चार्ट का भी मुखियागण अध्ययन करें, ताकि पता चल सके कि बच्चों स्वास्थ्य से सम्बन्धित सुधार हो रहा है अथवा नहीं।
- सिविल सर्जन, पलामू द्वारा बताया गया कि जननी सुरक्षा योजना के तहत् योजना संचालित है। कुपोषण उपचार केन्द्र भी संचालित है, जिसमें कुपोषित बच्चों का इलाज किया जाता है।

Red zone वाले बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। 104 डायल कर स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी ली जा सकती है।

- प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बच्चों के विद्यालय में ठहराव हेतु मध्याह्न भोजन योजना संचालित हो रही है। बच्चों को मेन्यू के अनुसार पोषक तत्वों के साथ अल्पाहार एवं मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। मुखिया का दायित्व है कि वे विद्यालय में संचालित हो रही योजनाओं की जानकारी लें एवं निगरानी भी करें। विशेष जानकारी अथवा शिकायत होने पर प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पास शिकायत करें।

दिनांक–20.07.2022 परिसदन भवन, मेदिनीनगर में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम (पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक)

- दिनांक–20.07.2022 को परिसदन भवन, मेदिनीनगर में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 13 शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं उपस्थित होकर राशन नहीं मिलने एवं अंगूठा का निशान लगाने के बावजूद डीलर द्वारा राशन से वंचित करने सम्बन्धी शिकायत से आयोग को अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा शिकायत पत्र की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध कराते हुए, कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। चैनपुर प्रखण्ड के पूर्वडीहा के एक विद्यालय में पानी के अभाव में मध्याह्न भोजन बंद होने के शिकायत मिलने पर अधिकारियों को सभी विद्यालयों में लगे चापानल की मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया। जन सुनवाई में आयोग के अध्यक्ष, सदस्या के अलावे अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू उपस्थित रहे।

दिनांक–20.07.2022 परिसदन भवन, मेदिनीनगर में आयोजित प्रेस वार्ता कार्यक्रम

- **(अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक)**

- दिनांक–20.07.2022 को परिसदन भवन, मेदिनीनगर, में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न संस्थानों के मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। उपस्थित मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से अवगत कराया एवं योजनाओं की जानकारी दी गई। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पूरे झारखण्ड में सबसे अधिक शिकायतें पलामू जिले से प्राप्त हुई है, इसलिये पहली प्राथमिकता के आधार पर पलामू जिले से सुनवाई शुरू की गई है। पलामू में अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु आयोग प्रयासरत है। पलामू प्रवास के दौरान

आयोग द्वारा किये जा रहे कार्य की जानकारी दी गई। साथ ही मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध किया गया कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत आने वाली योजना यथा–जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़ी शिकायतों को आयोग के संज्ञान में लाएँ। आयोग द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक–21.07.2022 स्थल भ्रमण कार्यक्रम

- दिनांक–21.07.2022 को आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या श्रीमती शबनम परवीन द्वारा उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, ग्राम–तेलियादोहर, पंचायत–पदमा, प्रखण्ड–मनातु, जिला–पलामू का औचक निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय में सिर्फ 20 बच्चे उपस्थित थे, जबकि खाना 26 बच्चों का बनाया जा रहा था एवं उपस्थिति पंजी में उपस्थित बच्चों की संख्या–39 दर्शाया गया है। जाँच में पाया गया कि विद्यालय के रजिस्टर में इस बात का उल्लेख है कि कुल बच्चों की संख्या–136 है। नामांकित बच्चों की संख्या 136 से काफी कम बच्चों की उपस्थिति संदेह पैदा करता है। जिला शिक्षा अधीक्षक को निदेशित किया गया कि वे कम से कम तीन माह की उपस्थिति एवं मध्याह्न भोजन की जाँच कर प्रतिवेदन दें कि कहीं फर्जी नामांकन दिखा कर मध्याह्न भोजन में गबन तो नहीं किया जा रहा।
- ग्राम–तेलियादोहर में भ्रमण के दौरान लाभुकों से राशन सम्बन्धी जानकारी ली गई। गाँव के लाभुकों द्वारा बताया गया कि जनवितरण प्रणाली वितरक, श्री जयनाथ राम द्वारा राशन में कटौती किया जाता है। इस पर आयोग ने कहा कि लाभुक अपनी शिकायतें प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के पास करें, उनके द्वारा शिकायत का समाधान नहीं करने पर आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत भेजें। गाँव के सभी लोगों को आयोग का वाट्सएप्प नं0 उपलब्ध कराया गया।
- ग्राम–तेलियादोहर, पंचायत–पदमा, प्रखण्ड–मनातु जिला–पलामू के आंगनबाड़ी केन्द्र का भी भ्रमण किया गया। आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माणाधीन होने के कारण अभी सेविका के घर में संचालित हो रहा है। बच्चों को नाश्ता में सूजी का हलवा एवं चना दिया जा रहा है। केन्द्र में 10 गर्भवती महिलाएँ, 12 धात्री माताएँ, 06 माह से 03 वर्ष तक के 37 बच्चे एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के 35 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित मिलने वाली 5,000/– की राशि लाभुकों को प्राप्त हुआ है।

- आयोग द्वारा मनातु प्रखण्ड के JSFC गोदाम का निरीक्षण किया गया। उक्त गोदाम केवल मनातु प्रखण्ड से जुड़ा हुआ है। गोदाम में राशन आते ही सील बंद पैकेट में PVTG को बांट दिया जाता है। आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को निर्देश दिया गया कि PVTG पर विशेष ध्यान दें। हर माह के 15 से 20 तारीख तक उन्हें राशन मिल जाए, यह सुनिश्चित करें।
- आयोग द्वारा ग्राम–रंगिया, प्रखण्ड–मनातु, जिला–पलामू का भ्रमण किया गया। इस गाँव में 21 परिवार एवं परिवार में लगभग 175 व्यक्ति हैं। ग्रामिणों से पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि यहाँ के लाभुकों को हर माह पूरा अनाज प्राप्त होता है। राशन के साथ नियमित रूप से कार्डधारियों को नमक भी दिया जाता है। लाभुकों को कोई समस्या नहीं है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर माह ग्रामिणों को यह जानकारी होना चाहिए कि उन्हें किस दिन राशन मिलना है। हर माह तिथि निर्धारित कर लाभुकों के बीच राशन का वितरण कराएँ। लाभुकों को हर माह राशन उनके अहर्त्ता के अनुरूप मिले यह सुनिश्चित किया जाय। लाभुकों से कहा गया कि किसी प्रकार की शिकायत होने पर आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत करें।
- आयोग द्वारा ग्राम पंचायत–मंझौली, पो0+प्रखण्ड–मनातु के जनवितरण प्रणाली वितरक, श्री शिवकेश्वर गिरि, अनुज्ञप्ति सं0–08/1989 के दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि डीलर द्वारा लाभुक को रसीद दिया जाता है एवं हर माह अनाज का वितरण किया जाता है।

इसके साथ पलामू भ्रमण कार्यक्रम समाप्त हुआ।

02/9/

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।